

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 23/2012

संजीव कुमार पुत्र धर्मवीर जाति जाट निवासी घोडीवाराकलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू  
-वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हणमानाराम जाति जाट निवासी सारी तहसील व जिला झुन्झुनू
2. सतीश पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी घोडीवाराकलां तहसील नवलगढ
3. जावेद पुत्र मोहम्मद युनुस जाति व्यापारी मुसलमान निवासी टाई पाटौदा तहसील व जिला झुन्झुनू
4. राजस्थान-सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू  
-प्रतिवादीगण

दावा विभाजन जमीन, घोषणा  
निर्णय

निर्णय दिनांक 13.10.2017  
वाद वादी दिनांक 10.09.2013 को प्राथमिक को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2017/372 दिनांक 11.02.2017 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में कोई एतराज नही होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्र.नं. 1, 2 व 3 द्वारा दावे के समय दर्ज खातेदारी भूमि का विक्रय किये जाने के कारण उनके स्थान पर क्रेता के नाम से दावा डिक्री किया जाना उचित पाता हूं। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम घोडीवाराकलां की भूमि ख.नं. 489 रकबा 0.70 है 0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. संजीवकुमार पुत्र धर्मवीर जाति जाट को भूमि ख.न. 489/1 रकबा 0.06 तथा ख.न. 489/2 रकबा 0.24 है 0 किता 2 रकबा 0.30 है 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. सुमनदेवी धर्मपत्नी महेशकुमार जाति जाट को भूमि ख.न. 489/3 रकबा 0.17 है 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. यादवचन्द्र पुत्र नोरंगसिंह जाति जाट निवासी नयासर तहसील झुन्झुनू को भूमि ख.न. 489/4 रकबा 0.23 है 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे तथा बैंक रहन संबंधित खातेदार के हिस्से में दर्ज किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
 अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
 दुर्गा प्रसाद मीना ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

**दावा: विभाजन जमीन व घोषणा .**

**मुकदमा सं०:- 23/2012 ( संजीवकुमार बनाम महेन्द्रसिंह आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू डॉ0 नरेन्द्र कुमार थोरी ( आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.10.2017 निर्णय अनुसार वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम घोडीवाराकलां की भूमि ख.नं. 489 रकबा 0.70 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. संजीवकुमार पुत्र धर्मवीर जाति जाट को भूमि ख.न. 489/1 रकबा 0.06 तथा ख.न. 489/2 रकबा 0.24 है0 किता 2 रकबा 0.30 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. सुमनदेवी धर्मपत्नी महेशकुमार जाति जाट को भूमि ख.न. 489/3 रकबा 0.17 है 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. यादवचन्द्र पुत्र नोरंगसिंह जाति जाट निवासी नयासर तहसील झुन्झुनू को भूमि ख.न. 489/4 रकबा 0.23 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे तथा बैंक रहन संबंधित खातेदार के हिस्से में दर्ज किया जावे।

जिन..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....-.....का अदा करे। बसअत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 13 माह 10 सन, 2017. को जारी की गई।



**उपखण्ड अधिकारी**  
 नवलगढ  
 मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिशनर	-	फीस कमिशनर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	02.00	मुतफरिक मिजान	0.00